बिन्दु संख्या–2 विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2022–23) प्रत्येक योजना के सम्बंध में सूचना

विभाग का नाम– ग्राम्य विकास विभाग

(धनराशि लाख ` में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2021 की स्थिति (**भौतिक स्थिति**)	31.3.2022 की स्थिति (**भौतिक**)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष **2022–23**	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम **2022–23**	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्र पोषित योजना									
1	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)	समस्त ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया कराना है, उस समय तक उनका पोषण एवं संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से उपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे	10338.55	--	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 31588 ग्राम संगठन की स्थापना– 3101 कलस्टर लेबिल फैडरेशन –159 बुक कीपर प्रशिक्षण– 31588 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–1614 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 31588.. स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 27580 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 12845 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 21531	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 36721 ग्राम संगठन की स्थापना– 4249 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 257 बुक कीपर प्रशिक्षण– 36870 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–2154 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 36870 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 33304 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 18198 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 30253	• स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 20000 • ग्राम संगठन की स्थापना– 1500 • कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 95 • बुक कीपर प्रशिक्षण–7500 • आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित– 120 • स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 20000 • स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 6000 • स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 6000 • स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज–15000	33304 स्वयं सहायता समूहों के 18655 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।	**मार्च, 2023**
1.1	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करके गांवों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करना। जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु धनराशि नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है।	383.53		• प्रथम चरण के • विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। • सी.आर.पी.ई.पी. चयन • बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना • 468 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है।	• 1188 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है।	• ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 684 प्रथम चरण के विकासखण्डों में। • बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 684	**मार्च, 2023**
1.2	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)–	योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में व्यवस्थित निवेश करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है ताकि	193.38		प्रथम चरण के 04 विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे	•4828 महिला किसानों का चयन कर कार्य	• प्रथम चरण में 5000 महिला किसानों का चयन	5000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन	**मार्च, 2023**

	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	उनकी भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकें ओर साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका सृजित किया जा सकें ओर उसे जारी रखा जा सकें। जिस हेतु अगले वित्तीय वर्ष हेतु धनराशि नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है।				प्रारम्भ ●254 कृषि एवं पशु सखी का चयन	● लोकल ग्रुप – 100 ● कृषि सखी– 100 ● पशु सखी–250 सी.एच.सी.–75	किया जायेगा।	
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना।	10542.06		वित्तीय वर्ष 2023 तक 25000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 7726 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसके सापेक्ष 01.04.2021 तक 3290 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए 1216 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोडा जा चुका है।	माह मार्च, 2022 तक 6969 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा 4558 का प्रशिक्षण गतिमान है जबकि 4316 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 2122 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है।	●12555 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा। ● कम से कम 8681 युवक–युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना।	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन किया जायेगा।	**मार्च 2023**
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के अन्तर्गत चयनित क्लस्टरों में विकास	अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को '**रर्बन गांवों**' के रूप मे. विकसित करना'	3400.00	––	फेज–1, 2 तथा 3 के अन्तर्गत कलस्टर जनपद हरिद्वार के भगतनपुर –आबिदपुर, देहरादून के रानीपोखरी कलस्टरों, जनपद टिहरी के धनौल्टी, उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर, जनपद उ0 सिह नगर के पहेनिया तथा जनपद वागेश्वर के कौशानी की डी0पी0आर0 पर अनुमोदनोपरान्त सभी कलस्टरों में कार्य गतिमान है तथा राज्य में मिशन की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक अतिरिक्त जनजाति कलस्टर राज्य को आवंटित किया गया है जिसकी आई0सी0ए0पी0 स्वीकृति प्रकिया अंतिम चरण में है।	मार्च 2022 तक फेज–1, 2 तथा 3 के अर्न्तगत चयनित सभी कलस्टरों में कुल 966 कार्य स्वीकृत थे जिसके सपोक्ष 407 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। राज्य को अतिरिक्त आवंटित जनजातियॉ मल्लाघोरपटट्ा की कार्ययोजना पर तैयार कर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।	योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि के व्यय पर रोक लगाई गई है। भविष्य में भारत सरकार द्वारा धनराशि व्यय के प्रतिबंध पर रोक हटाये जाने उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे।	रुर्बन कलस्टरों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास के दृष्टिगत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा आजीविका सृजन कार्यक्रम, अवस्थापना विकास।	**मार्च 2023**
4	डी0आर0डी0ए0 प्रशासनिक मद	डी0आर0डी0ए0 के अर्न्तगत गठित गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के	900.00	––	––	––	गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारी / अधिकारी– 126	गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ /	**मार्च, 2023**

		कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जाना						डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत 126 कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।	
5	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना। पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	29784.21	––	303.66 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 6.54 लाख परिवारों के 9.10 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 47802 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	243.22 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।	कुल 230.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ` 782.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 5.50 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 48500 कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन –लगभग 35000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।	**मार्च, 2023**
6	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण	आवास प्लस सूची के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में पीएमएवाई–जी हेतु पात्र पाये गये सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना।	31176.58	––	––– (तत्समय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से आवास प्लस सूची से आंवटित लक्ष्यों का आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित नहीं हुआ था।)	आवास प्लस सूची से प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष कुल 2146 आवास पूर्ण किये गये।	• आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सम्भावित लक्ष्य 15000 की पूर्ति हेतु कुल रू0 19890.00 लाख की आवश्यकता होगी। • वित्तीय वर्ष 2021–22 के 3073 के सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल रू. 4074.798 लाख की आवश्यकता होगी। • इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू. 33001.99 लाख की आवश्यकता होगी।	आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची मेंसम्मिलित पात्र ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।	आवास स्वीकृति की तिथि से 01वर्ष के अन्तर्गत आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य

7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों (कोर नेटवर्क)को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है	0.00	200000.02	उक्त योजना के अन्तर्गत 16525 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1662 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	18628 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया गया है तथा 1812 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	1500.00 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जना प्रस्तावति है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की समस्त बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	**मार्च, 2023**
8	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयत्रों की स्थापना किया जाना।	0.02	--	योजनार्न्तगत 519 बायोगैस संयत्र स्थापित किये गये।	योजनार्न्तगत 390 बायोगैस संयत्र स्थापित किये गये।	500 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी	500 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति करते हुये महिलाओं के स्वास्थय में गुणात्मक सुधार एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जायेगा।	**मार्च, 2023**
9	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी)	राज्य के 5 सीमान्त जिलो के सीमान्त क्षेत्रों में आवासित जनमानस को मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराये जाने हेतु अवस्थापना विकास	0.0	4478.70	वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 397 के सापेक्ष 397 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। वित्तीय वर्ष 2018–19 मे 371 कार्य पूर्ण किये गये है। वित्तीय वर्ष 2019–20 मे 169 कार्य पूर्ण किये गये है। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे शून्य कार्य पूर्ण किये गये है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 240 योजनाओं के सापेक्ष 234 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 245 योजनाओं के सापेक्ष 101 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–स्वास्थ्य, सडक एवं पुलें, डीडब्लूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गॉव, एम0एस0एम0ई0, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता हेतु गृह मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के क्रम में माह सितम्बर 2022 तक वर्तमान में कुल गतिमान 130 कार्यो को पूर्ण कराया जाना है।	सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	**1 वर्ष**
10	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	विभिन्न स्वयं सहायता समूहो, युवा/महिला मंगल दल, ग्राम संगठन के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश।	20.01	--	वित्तीय वर्ष 2020–21 में 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से आयोजित किये गये जिसमें 2401 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अगस्त, 2021 से आरम्भ किये गये। 31 मार्च, 2022 तक 50 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1543 प्रशिक्षणार्थियों को	लगभग 50 प्रशिक्षण देकर 1250 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन, पेयजल एवं स्वच्छता, बहुस्तरीय नियोजन, शासकीय व अर्द्धशासकीय कर्मचारियों का रिफ्रेशर	**मार्च,. 2023**

						प्रशिक्षित किया गया।		सम्बंधी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहो, महिला मंगल दल के सदस्यों हेतु आय सर्जन गतिविधियों हेतु बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।	
राज्य पोषित योजना									
1	विधायक निधि	प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	--	33725.00	12756 कार्य पूर्ण किये गये।	19044 कार्य पूर्ण किये गये।	क्षेत्रीय असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुये मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य किये जायेगें।	मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्य की स्वीकृति के पश्चात स्थानी स्तर पर विभिन्न विकास सम्बंधी मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति की जायेगी एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा।	**मार्च, 2023**
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एन.पी.वी.)	ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों से न जुड़ी बसावटों को बारह मासी सडकों के लिये सडक सम्पर्क मार्ग से जोड़ना, वृक्षारोपण एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान।	--	12500.00	813 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी एवं निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया गया है।	819 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी एवं निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया गया है।	03.00 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी एवं एवं 823 मार्गो के निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	–तदैव–	**मार्च, 2023**
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आधिक्य भुगतान)	निविदाएं/विचलन आदि मदों हेतु	--	2922.76	163.00 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया गया है।	296 कार्य पूर्ण किये गये हैं।	15.00 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	–तदैव–	**मार्च, 2023**
4	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण का भुगतान	योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु	5570.16	0.00	3723 किमी0 लम्बें मार्गो का अनुरक्षण किया गया है।	4502 किमी0 लम्बे मार्गो का अनुरक्षण किया गया है।	6501.68 किमी0 लम्बें पूर्ण मार्गो का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	योजना अन्तर्गत निर्मित मार्गो को अनुरक्षण किया जना हैं जिससे निर्मित मार्गो पर यातायात को सुचारु रखा जा सके।	**मार्च, 2023**
5	पी.एम.जी.एस. वाई के अर्न्तगत सैटेज चार्ज तथा पी.एम.सी. का भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डं की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु	2400.00	0.00	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डं की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं, वाप्कोस के 04 खण्डों एवं ब्रिज एण्ड रुफ के 02 खण्डों की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयाअन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष– 2022–23 में रु0 31.20 करोड का व्यय किया जाना	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयाअन्तर्गत पूर्ण करने हेतु।	**मार्च, 2023**

					किया गया है।	हेतु वर्ष– 2021–22 में रु0 20.28 करोड का व्यय किया गया है।	प्रस्तावित है।		
6	यू.आर.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाऐं	जनपद पिथौरागढ़ में नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु	--	0.01	जनपद पिथोरागढ के धारचूला में 92.00 किमी0 लम्बें मार्गो का निर्माण पूर्ण किया गया है।	98.50 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया गया है।	समस्त कार्य माह दिसम्बर–21 तक पूर्ण कर लिये जायेगें।	जनपद पिथौरागढ के धारचूला में असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	**मार्च, 2023**
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपातकालीन निधि	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते है। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गो की मरम्मत/Restoration के कार्य भी कराने हेतु है।	0.00	1500.00	70 क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना की गई है।	108 क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना की गई।	120 क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना की जायेगी।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते है। जिससे मार्गो पर यातायात को सुचारु रखा जा सके।	**मार्च, 2023**
8	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं स्वरोज़गार परक कार्यक्रमों, जलागम, आई.सी. डी.एस. सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। जिस हेतु रू0 5.00 प्रति प्र.प्र.के. की दर से कुल रू0 40.00 लाख अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित है।	40.00	--	––	31 मार्च, 2022 तक 261 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 9015 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।	लगभग ..... प्रशिक्षण देकर लगभग ..... पंचायतीराज प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजकीय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिससे कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	**मार्च, 2023**
9	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु।	--	40.00	रू. 21.56 लाख व्यय प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वष्र 2019–20 में किया	––	प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में आवासीय/ अनावासीय भवन के निर्माण हेतु।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन का निर्माण से कार्मिकों को बेहत्तर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा।	**मार्च, 2023**

					गया। तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्र0प्र0के0 पौड़ी हेतु रू0 30.00 लाख विजिटर रूम के निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया।				
10	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण की स्थापना	यू0आई0आर0डी0पी0आर0 के आवासीय/अनावासीय भवनों की मरम्मत हेतु।	----	50.00	वित्तीय वर्ष 2020–21 संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय भवनों की बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई एवं रखरखाव का कार्य किया गया है । उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार से रू 28.99 लाख प्राप्त हुआ ।	वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि रू. 50.00 लाख से अनावासीय भवनों में मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करवाया जाने प्रस्तावित थे। प्रेषित प्रस्तावानुसार रू 50.00 लाख राज्य सरकार से प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके।	गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रेषित प्रस्तावानुसार रू50.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । इसके अतिरिक्त आवासीय एवं अनावसीय भवनों में बृहत्त अनुरक्षण/मरम्मत हेतु पृथक से रू 93.80 लाख का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है जिसके सापेक्ष कार्य किया जाना प्रस्तावित है ।	संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय एवं आवासीय भवनों की बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई, फर्श की मरम्मत कार्य से भवनों का उचित रखरखाव होगा।	**मार्च, 2023**
11	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अधिकारियों एवं लिपिक/लेखा संवर्गीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	50.00	--	वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य से प्रशिक्षण हेतु दि0 10 मार्च, 2021 को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित गया जिसमें 78 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 01 प्रशिक्षण में व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि राज्य सरकार को समर्पण कर दी गयी।	31 मार्च, 2022 तक 29 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 888 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है ।	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावानुसार अवमुक्त धनराशि से 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेगें जिसमें लगभग 1280 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिफ्रेशर प्रशि0, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण एवं नयी योजनाओं के संचालन, कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	**मार्च, 2023**
12	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु	100.00	--	वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 43 कार्मिकों के वेतन भत्तों के सापेक्ष ` 79.42 लाख व्यय किया गया था जिसके सापेक्ष ` 18.00 लाख भारत सरकार एवं ` 61.42 लाख राज्य सरकार का व्यय हुआ था।	गैर शैक्षणिक कार्मिकों हेतु भारत सरकार के ` 18.00 लाख के अतिरिक्ति वर्ष 2021–22 में लगभग 43 कार्मिकों के वेतन–भत्तों के सापेक्ष धनराशि ` 76.80 व्यय व्यय किया गया ।	संस्थान में प्रतिनियुक्ति, नियमित पदो के सापेक्ष संविदा एवं स्वीकृत अन्य पदों के सापेक्ष आउटसोर्स सहित कुल 45 कार्मिक कार्यरत होने की संभावना है। संस्थान की गतिविधियों के सफल संचालन हेतु प्रतिनियुक्ति एवं आउटसोर्स कार्मिकों के बढ़ने की भी संभावना होगी । उक्त कार्मिकों के वेतन–भत्तों हेतु भारत सरकार की प्राविधानित	संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	**मार्च, 2023**

							धनराशि `18.00 लाख के अतिरक्त `89.06 लाख का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है जिसके सापेक्ष माह अप्रैल, 22 तक `33.33 लाख अवमुक्त हो चुकी है ।		
13	मेरा गॉव मेरी सड़क	राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पलायन की रोकथाम, आजीविका उपलब्ध कराना तथा गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराना	-	1348.56	23 सड़कें लम्बाई 21.60 किमी० में से 23 प्रगति पर।	मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 की 344 सड़कें पूर्ण की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 102 सड़कों के सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक 21 सड़कें पूर्ण एवं 52 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है जिसमें 37.409 कि०मी० सड़क निर्मित की गई है एवं 29 सड़कें अनारम्भ हैं।	योजनान्तर्गत प्रति विकासखण्ड 1–1 किमी की दो सडक माहात्मा गॉधी नरेगा के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से बनायी जायेंगी जिसकी 50 प्रति0 धनराशि मनरेगा से एवं 50प्रति0 धनराशि मेरा गाँव मेरी सडक से वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत लम्बाई 190 किमी. सडक निर्मित करते हुये `18.27 ला0 मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	सडकों के निर्माण से एक ओर जहॉ स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा।	**मार्च, 2023**
14	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्र अनुश्रवण परिषद हेतु मा0 उपाध्यक्ष एवं उनके निजी स्टाफ के मानदेय/वेतन आदि के भुगतान हेतु।	40.00	––	रू. 7.56लाख मा0 उपाध्यक्ष एवं निजी स्टाफ के मानदेय एवं कार्यालय/ प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया गया।	रू0 0.66 लाख इस वित्तीय वर्ष में पूर्व तैनात मा0 उपाध्यक्ष एवं उनके निजी स्टाफ के अवशेष देयकों का भुगतान किया गया।	––	–	**मार्च, 2023**
15	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई प्रशासनिक व्यय	ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की मूल्यांकन/ अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय आदि हेतु	0.01	––	–	––	––	टोकन मनी प्रस्तावित।	**मार्च, 2023**
16	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अर्न्तगत सब्सिडी	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम ''इन्दिरा अम्मा भोजनालय'' हैं उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जायेगी	400.00	-	रू. 94.92 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी।	21 कैंटीनों के माध्यम से समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के 519413 थालियॉ वितरित की गयी।	30 कैंटीनों के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा। समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध होगा तथा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा।	**मार्च, 2023**

17	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	राज्य में हो रहे पलायन की रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु ''ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग'' का गठन किया गया है।	160.50	–	रू. 58.31लाख मानदेय /वेतन भत्ते एवं कार्यालय/ प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया गया।	07 कार्मिकों, मा0. उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्यों का मानदेय, एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि का भुगतान किया गया।	मा0 उपाध्यक्ष–01 शोध अधिकारी–01 संविदा कार्मिक– 06 एवं 5 सदस्यों का मानदेय एवं वेतन आदि।	मा0 सदस्य, अधिकारियों एवं कार्मिकों के मानदेय, वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय का भुगतान। मा. आयोग की शिफारिशों के अनुरूप योजनाओं के कियान्वयन में राज्य में हो रहे पलायन की रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहत्तर आधार भूत सुविधाओं की स्थापना में सहायता मिलेगी।	मार्च, **2023**
18	रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना	नई पहल के रूप में राज्य द्वारा आइफेड के वित्तीय सहयोग से दो रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना क्रमश जनपद पौडी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है।	1000.00	.	दो रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर के तहत सहायतित इन्क्यूबेटीज हेतु Social venture capital Fund की स्थापना की जानी है।	कुल 243 इन्क्यूबेटीज के आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 87 इन्क्यूबेटीज का चयन किया गया एवं इन्हे इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 04 बिजनेस प्लान तैयार किये गये। विपणन हेतु 30 बिजनेस पार्टनरर्स का चयनित। 05 जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। 05 उद्यमिता विकास कार्यशाला आयोजित की गई।	500 इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग (विजनेस प्रशिक्षण, बिजनेस कार्ययोजना बनाना, विपणन सहयोग, मेंटसशिप सहयोग, विधिक सहयोग आदि) प्रदान करते हुये स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।	इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबशन सहयोग सतत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।	**02 वर्ष**
19	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत से अधिक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	2500.00		वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 371 स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष अप्रैल 2021 तक शून्य कर पूर्ण किये गये है।	कुल स्वीकृत 371 कार्यो के सापेक्ष 285 कार्य पूर्ण किये गये, शेष कार्य गतिमान है।	पलायन प्रभावी गॉवों में पलायन रोकथाम हेतु आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को ससमय स्वीकृत कर योजना का कियान्वयन किया जायेगा।	पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा वहां पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कार्ययोजनाओं का कियान्वयन करते हुये पलायन रोकथाम सुनिश्चित किया जायेगा।	**01 वर्ष**
20	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदो के 09 सीमान्त विकासखंडों में आवासित परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुये सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना है। साथ ही रिवर्स पलायन को बढावा दिया जाना है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित।		2000.00	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–स्वास्थ्य, सडक एवं पुलें, डीडब्लूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गॉव, एम0एस0एम0ई0, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना	वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल स्वीकृति 116 कार्यों के सापेक्ष 108 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल स्वीकृति 87 कार्यों के सापेक्ष 28 कार्य पूर्ण कर लिये गये है।	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को ससमय स्वीकृत कर योजना का	सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 से 50 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्वरोजगार की उपलब्धता	**01 वर्ष**

					सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 116 स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष अप्रैल 2021 तक शून्य कर पूर्ण किये गये है।		क्रियान्वयन किया जायेगा।	सुनिश्चित करायी जायेगी।	
21	आईफैड(बाह्य सहायतित) ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (नयी योजना)	The goal of REAP is to contribute to the doubling of income of rural households and reduce distress rural out migration.	5000.01	––	––	––	1. परियोजना अन्तर्गत 20000 लाभार्थियों का चयन कर उन्हें कार्यभोज यंत्र प्रदान करना 2. परियोजना अन्तर्गत 1000 किसानों को आय अर्जक गतिविधियों पर प्रशिक्षण 3. परियोजना अन्तर्गत गठित उत्पादक समूहों/आजीविका संघों को बैंको के माध्यम से वित्तीय सहयोग 4. परियोजना हेतु मुख्यालय जनपद व विकासखण्ड स्तर पर स्टॉफ के लिये ऐंजसी की नियुक्ति 5. 600 कुशल पैरावेट की सेवाओं का उपभोग 6. 560 आजीविका संघों के कार्मिको के मानदेय हेतु वित्तीय सहयोग	1. परियोजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों के कार्यभोज में कमी 2. परियोजना अन्तर्गत चयनित किसानों की आय अर्जक गतिविधियों में क्षमता विकास 3. परियोजना अन्तर्गत गठित उत्पादक समूहों/आजीविका संघोंकावित्तीय जोखिमोंहेतु क्षमता विकास 4. परियोजना हेतु मुख्यालय, जनपद व विकासखण्ड स्तर पर कार्मिको के लिये ऐंजसी के माध्यम से नियुक्ति 5. प्रषिक्षण उपरान्त विकासखण्ड स्तर पर 600 कुशल पैरावेट की सेवाओं की उपलब्धता 6. 560 आजीविका संघों के कार्मिको द्वारा अपनी आजीविका संघों की सुषासन, वित्तीय एवं व्यापारिक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति में सहयोग	मार्च, 2023

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित एस.डी.जी. 1, 9

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. स..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022–23	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022–23
1	2	3	4	5	6	8
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** a) Household deprived (SECCs) (lakhs)–Rural- 4.34 b) Propotion of population deprived rural – 4.29 **Sub-Goal (1.2.1)** a) No. of functional SHGs- 59027 b) No of credit Linked SHGs under NRLM - 26585 c) Proportion of population living below the State poverty line –	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 31588 ग्राम संगठन की स्थापना– 3101 कलस्टर लेबिल फैडरेशन –159 बुक कीपर प्रशिक्षण– 31588 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–1614 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 31588.. स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 27580 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 12845 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 21531	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 36721 ग्राम संगठन की स्थापना– 4249 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 257 बुक कीपर प्रशिक्षण– 36870 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–2154 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 36870 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 33304 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 18198 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज–30253	• स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 20000 • ग्राम संगठन की स्थापना– 1500 • कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 95 • बुक कीपर प्रशिक्षण–7500 • आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित– 120 • स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 20000 • स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 6000 • स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 6000 • स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज–15000	33304 स्वयं सहायता समूहों के 18655 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।
1.2	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	Goal-1 Enterprize establishment- 2160	• प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। • सी.आर.पी.ई.पी. चयन • बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना 468 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है।	• 1188 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है।	• ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 684 प्रथम चरण के विकासखण्डों में। • बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 684
1.3	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	Goal-1 District-- ..04 Block- .04 Mahila kisan selection-5000 Local group- 100 Kirshi shaki-100 Pashu shaki-250 CHC-75	• प्रथम चरण के 04 विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे		• प्रथम चरण में 5000 महिला किसानों का चयन • लोकल ग्रुप – 100 • कृषि सखी– 100 • पशु सखी–250 • सी.एच.सी.–75	5000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।
2	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** c) No.of deprived HHs provided skill training programme	वित्तीय वर्ष 2023 तक 25000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 7726 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है। 01.4. 2021तक प्रारम्भ प्रशिक्षण के सापेक्ष 3290 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण करते	माह मार्च, 2022 तक 6969 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा 4558 का प्रशिक्षण गतिमान है जबकि 4316 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध	• 11768 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा। • कम से कम 8237 युवक–युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक

			हुए 1216 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोडा जा चुका है।	कराया जा चुका है तथा 2122 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है।	कराना।	उन्नयन करना है।
3	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	**Goal-1 Sub-Goal (1.3)** a) Percentgage of active jobcard holding HHs getting employment under MGNREGS- 54.01 b) Avg. days of employment under MGNREGS- 30.09	303.66 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 6.54 लाख परिवारों के 9.10 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 47802 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	243.22 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।	कुल 230.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ` 782.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 5.50 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 48500 कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – लगभग 35000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	**Goal-1 Sub-Goal (1.3)** A आवास प्लस सूची के आधार पर आवंटित लक्ष्य –**16472** 1.Total target allotted from Awaas Plus list =**16472** 2. Total sanction house out of available beneficiaries= **15512** 3. Total house completed against sanction= **2146** c) Percentage of rural HHs have pacca house ----------%	——— (तत्समय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से आवास प्लस सूची से आंवटित लक्ष्यों का आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित नहीं हुआ था।)	आवास प्लस सूची से प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष कुल 2146 आवास पूर्ण किये गये।	• आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सम्भावित लक्ष्य 15000 की पूर्ति होगी। • वित्तीय वर्ष 2021–22 के 3073 के सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति होगी।	आवास प्लस सूची की स्थाई प्रतीक्षा सूची मेंसम्मिलित पात्र ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (नये फण्डिंग पैटर्न के अनुसार 90:10)	**Goal-9 Sub-Goal (9.1)** (a) 9.1 ग्रामीण मार्गो का भौतिक एवं सम्पर्क संयोजन मार्गो का निर्माण (किमी0) बसावटों का संयोजन (संख्या) 140 चालू सडकें 1500.00 किमी0 का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। (b) No. of Village link under PMGSY - Nil	उक्त योजना के अन्तर्गत 16525 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1662 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	18628 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया गया है तथा 1812 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	1500.00 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की समस्त असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।
1	आईफैड(बाह्य सहायतित) ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (नयी योजना)	SDG 1 - end poverty; SDG 2 - zero hunger; SDG 5 - gender equality SDG 13 - combat climate change and its impacts.	—	—	—	—